न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 64 / 2023

1 मैनू बानू स्त्री नबू खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 जनती बानू स्त्री काशु खां पुत्री फरीद खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम मलसीसर जिला झुन्झुनूं हाल निवासी ग्राम पिथीसर जिला चुरू। दौराने अपील मृतक
1/1 मुस्ताक पुत्र काशु खां
1/2 अनवर हुसैन पुत्र काशु खां
1/3 नाथी बानो पुत्री काशु खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. हाल पीथीसर जिला चुरू।
2 सलामन बानू पत्नी महनूखां पुत्री फरीदखां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. हाल पीथीसर जिला चुरू। दौराने अपील मृतक
2/1 फुले खां पुत्र महनू खां
2/2 याकुब पुत्र महनू खां
2/3 सतार पुत्र महनू खां
2/4 हबीब पुत्र महनू खां
2/5 बिलाल पुत्र महनू खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. हाल पीथीसर जिला चुरू।
3 मृतक भंवरी बैगम स्त्र अस्त अली खान पुत्री फरीद खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर जिला झुन्झुनूं हाल निवासी मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू। दौराने अपील मृतक
3/1 जाकीर पुत्र अस्त अली खान एवं भंवरी बैगम जाति कायमखानी निवासी मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3/2 आरीफ पुत्र अस्त अली खान एवं भंवरी बैगम जाति कायमखानी निवासी मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3/3 ताजू खां पुत्र अस्त अली खान एवं भंवरी बेगम जाति कायमखानी निवासी मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3/4 मृतक मो. हुसैन अस्त अली एवं भंवरी बेगम जाति कायमखानी निवासी मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू। दावा दायरी से पूर्व मृत्यु
3/4/1 नियामत बानो स्त्री स्व. मो. हुसैन जाति कायमखानी निवासी मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3/4/2 अयुब पुत्र स्व. मो. हुसैन जाति कायमखानी निवासी मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4 इस्लाम पुत्र मनवर खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 नब्बू खां अब्दु खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6 बाबू खां पुत्र अब्दुखां
7 मुमताज खां पुत्र अब्दु खां
8 जमीनला पुत्री फत्तु खां
9 नजमा पुत्री फतु खां
10 असलम पुत्र फतु खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
11 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
12 बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये प्रबंधक मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
13 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्त. अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांकित 12.08.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी जनती बानो वगै. बनाम इस्लाम वगै. मु.नं. 14/2020 दावा बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30/3/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2020 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादियागण रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणार्थ एवं खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 159 के नये खसरा नम्बर 235, 236 वाके मलसीसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अब्दु खां पुत्र बागे खां के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन उत्तराधिकार में उसके पुत्र भंवरूखां, बाबुखां एवं नबुखां तथा मुमताज खां को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। उक्त अब्दुखां का पुत्र फत्तु खां फरीदखां के गोद चला गया। इस प्रकार विवादित जमीन में अब्दुखां के शेष चार पुत्र प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/4 हक हिस्सा हुआ। नबु खां पुत्र अब्दुखां ने उक्त जमीन में से अपने 1/4 हक हिस्से की जमीन में से 1.57 है. जमीन पहले उर्मिला देवी स्त्री हनुमान सिंह जाति जाट निवासी लादूसर को विक्रय कर दी थी। बाद में उक्त उर्मिला देवी ने उक्त जमीन वापिस मैनु बानु स्त्री नब्बुखां को 1.57 है. जमीन विक्रय कर दी इस प्रकार

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उक्त जमीन में अपीलान्ट मैनु बानू 1.57 है. जमीन की सह खातेदार रहीं। विचाराधीन निर्णय पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई। विचारण न्यायालय के समक्ष दायर वाद पत्र के बाबत अपीलान्ट के पास कभी कोई तामीली नोटिस नहीं गया तथा ना ही कोई नोटिस जरिये डाक गया। रेस्पोडेन्ट नबुखां पुत्र अब्दु खां अपीलान्ट का पति है। उक्त नबुखां भोला भाला ग्रामीण परिवेश का अशिक्षित व्यक्ति है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में नबुखां एवं अपीलान्ट मैनु बानु की तरफ से अन्य व्यक्तियों के साथ जवाब दावा पेश किया जाना जाहिर है। रेस्पोडेन्ट के नबुखां के हस्ताक्षर रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने सरकार से मुआवजा दिलवाने के बहाने करवाये है नबुखां ने इस जवाब दावा पेश करने की किसी को भी स्वीकृति नहीं दी जवाब दावा नबुखां के हक अधिकारों एवं भावनाओं के खिलाफ है एवं जवाब दावा खिलाफ है। जवाब दावा पर अपीलान्ट मैनुबानों ने कभी भी अंगूठा निशानी नहीं की अपीलान्ट मैनु बानो की अंगूठा निशानी जवाब दावा पर होना जाहिर है। वह अंगूठा निशानी मैनू बानो की नहीं है। जवाब दावा पर अपीलान्ट की अंगूठा निशानी फरीद खां के किसी वारिसान ने फर्जी व गलत की है। पत्रावली में स्थित राजीनामा में अपीलान्ट मैनूबानो की फर्जी अंगूठा निशानी है तथा न्यायालय की आदेशिका में भी मैनू बानू की अंगूठा निशानी फर्जी है अपीलान्ट मैनु बानु कभी भी विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं हुई। राजीनामा में पक्षकारान की पहचान किस अधिवक्ता ने की दर्ज नहीं है। जवाब दावा व राजीनामा एक ही दिन पेश होना जाहिर है। विचारण न्यायालय ने सिविल प्रकिया के प्रावधानों की अनदेखी की है। जब प्रतिवादी नं. 2 लगायत 11 की जब दिनांक 16. 02.2021 को एकपक्षीय आदेश पारित हो गये उस सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही आदेश अस्पष्ट करवाये बिना कोई भी प्रतिवादी पक्षकार न्यायालय की अग्रिम प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी एवं वादी द्वारा जो जवाब दावा व राजीनामा पेश किया है वह

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

कानूनन पठनीय नही है एवं शुन्य रिकार्ड है। न्यायालय द्वारा राजीनाम तस्दीक नहीं किया गया इस प्रकार उपरोक्त सभी परिस्थितियों की रोशनी में विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। विचाराधीन निर्णय के द्वारा अपीलान्ट की 1.303 है. जमीन के आस पास खातेदारी खत्म कर दी उक्त जमीन में से विचाराधीन निर्णय पारित होने से पहले व निर्णय के निष्पादन से पहले अपीलान्ट उक्त जमीन में से 1.57 है. जमीन की खातेदार थी। निर्णय की पालना के बाद उक्त जमीन में से अपीलान्ट के नाम 89/2630 हिस्सा दर्ज है। यानि सम्पूर्ण जमीन 7.89 है. है। अपीलान्ट के हिस्सा के मुताबिक 7.89 है. **X** 89 = 702.21 भाग 2630 = 0.267 है. यानि 1.57 है. – 0.267 = 1.303 है. जमीन अपीलान्ट की कम कर दी। अपीलान्ट को पहले विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री के बारे में पता नहीं था। माह मार्च 2023 के दुसरे सप्ताह में ओलावृष्टि होने के कारण सरकार की तरफ से मुआवजा मिलने की घोषणा के कारण दिनांक 0.03.2023 को अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से जमाबंदी प्राप्त की तब अपीलान्ट को उसके हिस्से की जमीन कम होने की सूचना मिली तब अपीलान्ट ने सम्पूर्ण जानकारी कर दिनांक 21.03.2023 को विचारण न्यायालय की नकल प्राप्त की। दिनांक 21.03.203 से आज तक का समय अपीलान्ट को अपील से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करने एवं विधिक सलाह प्राप्त करने में लग गये इस प्रकार विचाराधीन निर्णय की बरोज जानकारी दिनांक 21.03.2023 से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद 60 दिन पेश है। फिर भी किसी कारणवश अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नहीं माने उस सूरत में अपीलान्ट को उपरोक्त कारण से अपील पेश करने में हुई देरी माफ की जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जावे देरी काफ करने के लिये धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादियागण रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणार्थ एवं खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 159 के नये खसरा नम्बर 235, 236

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

वाके मलसीसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय वाद वादी डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 4 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में दिनांक 31.03.2021 को अपीलान्ट ने उपस्थित होकर आदेशिका पर अंगूठा निशानी अंकित कर जवाब दावा एवं राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका, जवाब दावा, राजीनामें पर अपीलान्ट की अगूंठा निशानी फर्जी होने के संदर्भ में अपीलान्ट द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाकर प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में इकबाली जवाब एवं राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट इकबाली जवाब दावे एवं राजीनामें पर अंकित कथनों से स्टोप्ड है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट को विचाराधीन प्रकरण एवं निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी रही है। इसके उपरांत भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दो साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का युक्तिसंगत एवं संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादियागण रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणार्थ एवं खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 159 के नये खसरा नम्बर 235, 236 वाके मलसीसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय वाद वादी डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 4 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में दिनांक 31.03.2021 को अपीलान्ट ने उपस्थित होकर आदेशिका पर अंगूठा निशानी अंकित कर जवाब दावा एवं राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय की आदेशिका, जवाब दावा, राजीनामें पर अपीलान्ट की अगूंठा निशानी फर्जी होने के संदर्भ में अपीलान्ट द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाकर प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में इकबाली जवाब एवं राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

अपीलान्ट इकबाली जवाब दावे एवं राजीनामें पर अंकित कथनों से स्टोप्ड है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट को विचाराधीन प्रकरण एवं निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी रही है। इसके उपरांत भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दो साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का युक्तिसंगत एवं संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर